



न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ़ जिला अलवर

प्रार्थना पत्र संख्या :- 03/66/2025 (पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
ऑन लाईन नम्बर 2025/322

प्रवेश तिथि:-28.08.2025

1. यशोदा पुत्री कन्हैया लाल जाति ब्रह्मण आयु करीब 60 साल।
2. विमला पुत्री कन्हैया लाल जाति ब्रह्मण आयु करीब 63 साल।
3. भगवती देवी पुत्री भगवान सहाय जाति ब्रह्मण आयु करीब 58 साल।
4. दुर्गा प्रसाद पुत्र भगवान सहाय जाति ब्रह्मण आयु करीब 56 साल निवासीयान ग्राम शोभापुरा तहसील राजगढ़ जिला अलवर।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर

प्रार्थना पत्र धारा 136 एनओएक्ट0 1956

उपरिथत श्री जगदीश प्रसाद गौतम एड0-प्रार्थी

निर्णय:-

दिनांक 10/11/2025

1 आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू-राजस्व अधिनियम बाबत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की हाल आराजी खाता संख्या 70 खसरा संख्या 493/543/0.1000, 494/0.2000, खाता संख्या 72 खसरा संख्या 106/0.2000, 120/0.4500, 32/0.2500, 347/0.6900, 417/1.17, 441/0.9300, 456/0.8900, 461/0.4600, 469/0.9900, खाता संख्या 75 खसरा संख्या 102/0.4000, 17/0.2500, 288/0.4000, 291/0.6000, 314/1.3700, 348/0.6600, 433/1.5000, 470/0.8100, 493/0.6400, 537/397/0.0360, 538/397/0.2740, 94/0.0100, 95/0.2800, 99/0.3600, खाता संख्या 73 खसरा संख्या 457/0.8700, खाता संख्या 68 खसरा संख्या 261/0.2100, 262/0.3100, 264/0.0800, 265/0.5200, 267/0.1200, 270/0.1600, 278/0.3300, खाता संख्या 56 खसरा संख्या 109/0.400, खाता संख्या 65 खसरा संख्या 110/0.2500, 111/0.2700, 113/0.1500, 132/0.0800, 19/0.1900, 287/0.3000, 295/0.5300, 349/0.4400, 361/0.3000, 386/0.2500, 419/0.9900, 459/0.1400, 468/1.1200, खाता संख्या 81 खसरा संख्या 458/1.1200 खाता संख्या 69 खसरा संख्या 266/0.1000 है0 वाके ग्राम शोभापुरा तहसील राजगढ़ जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त आराजी प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। जो उन्हें विरासत में पैत्रिक से प्राप्त हुई है। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण क्रमश जसोदा पुत्री कन्हैया लाल, छोटी पुत्री कन्हैया लाल, मोहरा पुत्री भगवान सहाय, द्वारका प्रसाद पुत्र भगवान सहाय दर्ज कर दिया। उक्त गलत इन्द्राज से प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। जिसे न्यायहित में दुरुस्त किया जाना अति आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर

अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का सही नाम क्रमशः यशोदा पुत्री कन्हैया लाल, विमला पुत्री कन्हैया लाल, भगवती देवी पुत्री भगवान सहाय, दुर्गा प्रसाद पुत्र भगवान सहाय दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर के पत्रांक क्रमांक/भू.अ./2025/1943 दिनांक 09.10.2025 की मीका जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो कि शामिल पत्रावली है। तहसीलदार राजगढ़ की जॉच रिपोर्ट एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार हाल रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण क्रमशः जसोदा पुत्री कन्हैया लाल, छोटी पुत्री कन्हैया लाल, मोहरा पुत्री भगवान सहाय, द्वारका प्रसाद पुत्र भगवान सहाय दर्ज कर रखा है। तहसीलदार राजगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण क्रमशः जसोदा पुत्री कन्हैया लाल, छोटी पुत्री कन्हैया लाल, मोहरा पुत्री भगवान सहाय, द्वारका प्रसाद पुत्र भगवान सहाय व क्रमशः यशोदा पुत्री कन्हैया लाल, विमला पुत्री कन्हैया लाल, भगवती देवी पुत्री भगवान सहाय, दुर्गा प्रसाद पुत्र भगवान सहाय एक ही व्यक्ति है। गलत नाम के स्थान पर क्रमशः यशोदा पुत्री कन्हैया लाल, विमला पुत्री कन्हैया लाल, भगवती देवी पुत्री भगवान सहाय, दुर्गा प्रसाद पुत्र भगवान सहाय दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

3. बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौरान-ए-बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये उल्लेख किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खाता संख्या 70 खसरा संख्या 493/543/0.1000, 494/0.2000, खाता संख्या 72 खसरा संख्या 106/0.2000, 120/0.4500, 32/0.2500, 347/0.6900, 417/1.17, 441/0.9300, 456/0.8900, 461/0.4600, 469/0.9900, खाता संख्या 75 खसरा संख्या 102/0.4000, 17/0.2500, 288/0.4000, 291/0.6000, 314/1.3700, 348/0.6600, 433/1.5000, 470/0.8100, 493/0.6400, 537/397/0.0360, 538/397/0.2740, 94/0.0100, 95/0.2800, 99/0.3600, खाता संख्या 73 खसरा संख्या 457/0.8700, खाता संख्या 68 खसरा संख्या 261/0.2100, 262/0.3100, 264/0.0800, 265/0.5200, 267/0.1200, 270/0.1600, 278/0.3300, खाता संख्या 56 खसरा संख्या 109/0.400, खाता संख्या 65 खसरा संख्या 110/0.2500, 111/0.2700, 113/0.1500, 132/0.0800, 19/0.1900, 287/0.3000, 295/0.5300, 349/0.4400, 361/0.3000, 386/0.2500, 419/0.9900, 459/0.1400, 468/1.1200, खाता संख्या 81 खसरा संख्या 458/1.1200 खाता संख्या 69 खसरा संख्या 266/0.1000 है। वाके ग्राम शोभापुरा तहसील राजगढ़ जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड क्रमशः यशोदा पुत्री कन्हैया लाल, विमला पुत्री कन्हैया लाल, भगवती देवी पुत्री भगवान सहाय, दुर्गा प्रसाद पुत्र भगवान सहाय की जगह सहवन से प्रार्थीगण क्रमशः जसोदा पुत्री कन्हैया लाल, छोटी पुत्री कन्हैया लाल, मोहरा पुत्री भगवान सहाय, द्वारका प्रसाद पुत्र भगवान सहाय दर्ज कर दिया। उक्त गलत इन्द्राज से प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। जिसे न्यायहित में दुरुस्त किया जाना अति आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का सही नाम क्रमशः यशोदा पुत्री कन्हैया लाल, विमला पुत्री कन्हैया लाल, भगवती देवी पुत्री भगवान सहाय, दुर्गा प्रसाद पुत्र भगवान सहाय दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व तहसीलदार राजगढ़ की



उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर

रेपोर्ट आदि का अवलोकन किया। मुताबिक तहसीलदार राजगढ़ की रिपोर्ट दिनांक 09.10.2025 के अनुसार प्रार्थीगण क्रमशः यशोदा पुत्री कन्हैया लाल, विमला पुत्री कन्हैया लाल, भगवती देवी पुत्री भगवान सहाय, दुर्गा प्रसाद पुत्र भगवान सहाय की जगह सहवन से प्रार्थीगण क्रमश जसोदा पुत्र कन्हैया लाल, छोटी पुत्र कन्हैया लाल, मोहरा पुत्री भगवान सहाय, द्वारका प्रसाद पुत्र भगवान सहाय एक ही व्यक्ति है। प्रार्थीगण की ओर से दुर्गा प्रसाद ने एक शपथ पत्र बी.एक्स 217071 पेश किया गया कि प्रार्थीगण क्रमश जसोदा पुत्री कन्हैया लाल, छोटी पुत्री कन्हैया लाल, मोहरा पुत्री भगवान सहाय, द्वारका प्रसाद पुत्र भगवान सहाय व क्रमशः यशोदा पुत्री कन्हैया लाल, विमला पुत्री कन्हैया लाल, भगवती देवी पुत्री भगवान सहाय, दुर्गा प्रसाद पुत्र भगवान सहाय एक ही व्यक्ति है। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र की पुष्टि में उक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र व तहसीलदार राजगढ़ की जॉच रिपोर्ट से भी प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यों के सही होने की पूर्णरूप से पुष्टि होती है, प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 प्रार्थीगण की हाल आराजी खाता संख्या 70 खसरा संख्या 493/543/0.1000, 494/0.2000, खाता संख्या 72 खसरा संख्या 106/0.2000, 120/0.4500, 32/0.2500, 347/0.6900, 417/1.17, 441/0.9300, 456/0.8900, 461/0.4600, 469/0.9900, खाता संख्या 75 खसरा संख्या 102/0.4000, 17/0.2500, 288/0.4000, 291/0.6000, 314/1.3700, 348/0.6600, 433/1.5000, 470/0.8100, 493/0.6400, 537/397/0.0360, 538/397/0.2740, 94/0.0100, 95/0.2800, 99/0.3600, खाता संख्या 73 खसरा संख्या 457/0.8700, खाता संख्या 68 खसरा संख्या 261/0.2100, 262/0.3100, 264/0.0800, 265/0.5200, 267/0.1200, 270/0.1600, 278/0.3300, खाता संख्या 56 खसरा संख्या 109/0.400, खाता संख्या 65 खसरा संख्या 110/0.2500, 111/0.2700, 113/0.1500, 132/0.0800, 19/0.1900, 287/0.3000, 295/0.5300, 349/0.4400, 361/0.3000, 386/0.2500, 419/0.9900, 459/0.1400, 468/1.1200, खाता संख्या 81 खसरा संख्या 458/1.1200 खाता संख्या 69 खसरा संख्या 266/0.1000 हैं। वाके ग्राम शोभापुरा तहसील राजगढ़ जिला अलवर को स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार राजगढ़ को आदेश दिये जाते हैं कि वो उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम क्रमशः प्रार्थीगण क्रमश जसोदा पुत्री कन्हैया लाल, छोटी पुत्री कन्हैया लाल, मोहरा पुत्री भगवान सहाय, द्वारका प्रसाद पुत्र भगवान सहाय दर्ज है। उसके स्थान पर क्रमश यशोदा उर्फ जसोदा पुत्री कन्हैया लाल, विमला उर्फ छोटी पुत्री कन्हैया लाल, भगवती देवी उर्फ मोहरा पुत्री भगवान सहाय, दुर्गा प्रसाद उर्फ द्वारका प्रसाद पुत्र भगवान सहाय दुरुस्त किया जावे तथा शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हो।



(सुश्री सीम्र मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ़
जिला अलवर